क्रम-संख्या–144(क–9)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 21 अगस्त, 2023

श्रावण 30, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 414/79-वि-1–2023-1-(क) -12-2023
लखनऊ, 21 अगस्त, 2023

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 जिससे दिव्यांगजन सशक्तिकरण अनुभाग–3 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 18 अगस्त, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2023 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2023)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

राज्य में जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग शिक्षण संस्थान द्वारा स्थापित एवं प्रशासित विद्यमान जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय (निजी विश्वविद्यालय) चित्रकूट का राज्य विश्वविद्यालय के रूप में उन्नयन तथा पुनर्गठन करने और उससे संबंधित एवं आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसाकि राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करें और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

परिभाषाएँ

2-जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में-

(क) "विद्या परिषद" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की विद्या परिषद से है;

(ख) "घटक महाविद्यालय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्था से है;

(ग) "कर्मचारी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी से है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारिवृन्द सम्मिलित हैं;

(घ) "कार्य परिषद" का तात्पर्य धारा 21 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की कार्य परिषद से है;

(ङ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(च) "सामान्य परिषद" का तात्पर्य धारा 17 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की सामान्य परिषद से है;

(छ) "छात्र निवास" का तात्पर्य छात्रों के निवास की किसी ऐसी इकाई से है जो विश्वविद्यालय, या किसी घटक महाविद्यालय द्वारा अनुरक्षित हो या मान्यता प्राप्त हो;

(ज) " दिव्यांगजन" का तात्पर्य "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" में यथा परिभाषित किसी व्यक्ति से है;

(झ) "जगद्गुरु रामभद्राचार्य संस्थान" का तात्पर्य जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग शिक्षण संस्थान,4-एफ, नवाब युसुफ रोड, इलाहाबाद से है जो एक सोसाइटी है जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रार आफ सोसाइटीज, उत्तर प्रदेश से रजिस्ट्रीकृत है;

(ञ) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ट) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(ठ) किसी घटक महाविद्यालय के संबंध में "प्राचार्य" का तात्पर्य घटक महाविद्यालय के प्रधान से है और इसके अन्तर्गत, जहाँ कोई प्राचार्य न हो वहाँ उपप्राचार्य या प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिये तत्समय नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है;

(ड) "कुलसचिव" का तात्पर्य धारा 13 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के कुलसचिव से है;

(ढ) "परिनियमों" और "अध्यादेशों" का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियमों और अध्यादेशों से है;

(ण) "अध्यापक" का तात्पर्य किसी आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य या ऐसे अन्य व्यक्ति से है जिसे विश्वविद्यालय या घटक महाविद्यालय में अनुदेश प्रदान करने या शोध कार्य संचालित करने के लिये नियुक्त किया जाये और इसमें किसी घटक महाविद्यालय का प्राचार्य सम्मिलित है;

(त) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित एवं निगमित जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय से है।

जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय का निगमन

3-(1) "उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001" के अधीन स्थापित जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के अधीन जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी और उक्त नाम से वाद करेगा एवं वाद किया जाएगा।

(2) कुलाधिपति, प्रथम कुलपति और सामान्य परिषद, कार्य परिषद और विद्यापरिषद के प्रथम सदस्यों, और ऐसे समस्त व्यक्तियों, जो आगे ऐसे अधिकारी या सदस्य होंगे, से ऐसे पद या सदस्यता धारण करने तक, विश्वविद्यालय का गठन होगा।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय चित्रकूट में होगा।

विश्वविद्यालय के निगमन का प्रभाव

4- नियत दिन से ही, -

(क) किसी विधि (इस अधिनियम से भिन्न) में या किसी संविदा या अन्य लिखत में जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय का कोई निर्देश विश्वविद्यालय का निर्देश समझा जायेगा;

(ख) जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय की या उससे संबंधित समस्त जंगम और स्थावर संपत्तियां, विश्वविद्यालय में निहित होंगी;

(ग) जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के समस्त अधिकार और दायित्व विश्वविद्यालय को अंतरित हो जाएंगे और वे विश्वविद्यालय के अधिकार और दायित्व होंगे;

(घ) नियत दिन के ठीक पूर्व जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति विश्वविद्यालय में अपना पद या सेवा उसी अवधि तक, उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर तब तक धारण करेगा जो वह तब धारण करता यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता और वह ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक कि उसका नियोजन समाप्त नहीं किया जाता या ऐसी अवधि, पारिश्रमिक और निबंधन एवं शर्तें परिनियमों द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं की जातीं;

(ङ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या किसी लिखत या अन्य दस्तावेज में, जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रतिकुलपति के किसी निर्देश का, वह चाहे किसी भी प्रकार के शब्दों में हो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह निर्देश क्रमशः विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रतिकुलपति के निर्देश हैं;

(च) उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम 32 सन् 2001) के उपबंधों के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति इस अधिनियम के अधीन कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा और वह तीन मास की अवधि के लिए या उस समय तक जब तक कि कुलपति की नियुक्ति की जाए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

5-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:-

(क) पारम्परिक शिक्षा पद्धति के माध्यम से विकासशील क्षेत्रों में पुनर्वास पाठ्यक्रम सहित अध्ययन शोध एवं विस्तार कार्य में सहायता करना एवं बढ़ावा देना जिसमें दृष्टिबाधिता, श्रवण बाधिता, मानसिक मंन्दिता, पुनर्वास अभियान्त्रिकी /प्रौद्योगिकी, समुदाय आधारित पुनर्वासन, पुनर्वास मनोविज्ञान, वाक एवं श्रवण, अस्थिविकार तथा प्रमस्तिष्क पक्षाघात (सेरिब्रल पालजी) आन्ति रोग (आटिजग) अव्यवस्थित पुंज (स्पेक्ट्रम डिसआर्डर) पुनर्वासन थेरेपी, व्यावसायिक परामर्श व पुनर्वासन, समाज कार्य/ प्रशासन आदि विषयों पर ध्यान दिया जायेगा;

(ख) सामान्य शिक्षा सहित दिव्यांगता तथा संबंधित विन्दुओं पर नियमित शिक्षा पद्धति द्वारा विद्यार्जन तथा ज्ञान की अभिवृद्धि करना तथा उसका प्रसार करना;

(ग) विशेष शिक्षा व्यावसायिक एवं सामान्य शिक्षा के संबंध में कौशल विकास करके छात्रों एवं शोधार्थियों में दिव्यांगता के क्षेत्र में समाज सेवा के दायित्व का भाव विकसित करना;

(घ) शारीरिक रूप से दिव्यांग छात्रों को सशक्त करना और अन्य छात्रों के साथ सुगम वातावरण में उच्च शिक्षा का उपबंध करना;

(ङ) परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उपाधियों और अन्य शैक्षणिक विशिष्टियाँ प्रदान करना; और

(च) ऐसे समस्त अन्य कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के समस्त या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक, आवश्यक या, अनुकूल हो।

किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना

6-विश्वविद्यालय में घटक महाविद्यालय हो सकते हैं, किन्तु उसे किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति नहीं होगी।

विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य

7-विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे–

(क) अनुसंधान, शिक्षा और अनुदेश के लिए विश्वविद्यालय और ऐसे केन्द्रों का प्रशासन और प्रबन्ध करना जो विश्वविद्यालय के प्रायोजनों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों;

(ख) दिव्यांगता से संबंधित ज्ञान या ज्ञानार्जन की ऐसी शाखाओं में जिनमें विश्वविद्यालय ठीक समझे, अनुदेशों का उपबंध करना और शोध के लिए तथा दिव्यांगता संबंधी ज्ञान की अभिवृद्धि तथा प्रसार के लिए उपबन्ध करना;

(ग) दिव्यांगता तथा सामाजिक विकास के समस्त पहलुओं में शोध प्रायोजित करना तथा उसका दायित्व लेना;

(घ) किसी उपाधि या डिप्लोमा हेतु अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश के लिए अर्हताएँ विहित करना और उन्हें विनियमित करना;

(ङ) अतिरिक्त भित्ति चित्र संबंधी अध्यापन तथा विस्तार सेवाओं का आयोजन करना तथा उनका दायित्व ग्रहण करना;

(च) परीक्षाओं का आयोजन करना और ऐसी शर्तों, जैसाकि विश्वविद्यालय अवधारित करे, के अध्यधीन व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र स्वीकृत करना और उन्हें उपाधि या विद्या संबंधी अन्य विशेष उपाधियाँ प्रदान करना और किन्ही ऐसे डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों, उपाधि या अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों को उचित एवं पर्याप्त कारणों से वापस लेना;

(छ) मानद उपाधि या अन्य विशेष उपाधियों को यथा विहित रीति से प्रदान करना;

(ज) फीस और अन्य प्रभारों को नियत करना, उनकी माँग करना और उन्हें प्राप्त करना;

(झ) हालों और छात्रावासों को संस्थित करना और उनका रख-रखाव करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए निवास स्थानों को मान्यता प्रदान करना और किसी ऐसे निवास स्थल को प्रदान की गयी ऐसी मान्यता को वापस लेना ;

(ञ) निवास स्थल का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य के संवर्द्धन के लिए व्यवस्था करना ;

(ट) विद्यार्थियों के निवास, अनुशासन और शिक्षण के लिए व्यवस्था करना ;

(ठ) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से शैक्षणिक, प्राविधिक, प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना ;

(ड) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में अनुशासन विनियमित और प्रवर्तित करना और ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो आवश्यक समझे जायें ;

(ढ) आचार्य पद, सहआचार्य पद, सहायक आचार्य पद और विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित किन्हीं अन्य अध्यापन, शैक्षणिक या शोध संबंधी पदों को राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से संस्थित करना ;

(ण) आचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य के रूप में या अन्यथा विश्वविद्यालय के अध्यापक और शोध छात्रों के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति करना ;

(त) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, पारितोषिक और पदक संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(थ) शोध और अन्य कार्यों के मुद्रण, प्रतिलिपिकरण और प्रकाशन की व्यवस्था करना और प्रदर्शनियाँ आयोजित करना ;

(द) दिव्यांगता, सामाजिक विकास और सहवद्ध विषयों में शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध के मामले में किसी अन्य संगठन से, ऐसे प्रयोजनों के लिए जिसके संबंध में करार किया गया हो, ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, सहकार करना ;

(ध) अध्यापकों और विद्वानों का सामान्यतः ऐसी रीति से, जो सामान्य उद्देश्यों के लिए अनुकूल हों, आदान- प्रदान करके विश्व के किसी भाग में उच्चतर अध्ययन की ऐसी संस्थाओं से, जिनके उद्देश्य अंशतः विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के सदृश हों, सहकार करना ;

(न) विश्वविद्यालय के व्ययों का विनियमन करना और लेखाओं का प्रबन्ध करना ;

(प) विश्वविद्यालय के परिसर के भीतर या अन्यत्र ऐसी कक्षाओं और अध्ययन हालों की स्थापना और रख-रखाव करना, जिन्हें विश्वविद्यालय आवश्यक समझे और उनकी पर्याप्त रूप से साज- सज्जा करना और ऐसे पुस्तकालयों और वाचनालयों की स्थापना और उनका रख-रखाव करना, जो विश्वविद्यालय के लिए सुविधाजनक और आवश्यक प्रतीत हों;

(फ) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए और उन उद्देश्यों से सुसंगत जिनके लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, अनुदान, आर्थिक सहायता, अभिदान, संदान और उपहार प्राप्त करना;

(ब) किसी ऐसी भूमि या भवन या कर्मशाला को, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए आवश्यक और सुविधाजनक हो, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिन्हें वह ठीक व उचित समझे, पट्टे पर लेना अथवा उपहार के रूप में या अन्यथा रूप में स्वीकार करना और ऐसे किसी भवन या कर्मशाला का निर्माण करना या उसमें परिवर्तन करना या उसका रख-रखाव करना;

(भ) विश्वविद्यालय के हित और क्रियाकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी निबन्धनों और शर्तों पर जैसी विश्वविद्यालय ठीक और उचित समझे, विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्तियों या उसके आंशिक भाग का, चाहे वह जंगम हो या स्थावर, विक्रय करना, आदान-प्रदान करना, पट्टे पर देना या अन्यथा निस्तारण करना:

परन्तु यह कि जहाँ सम्पत्तियों का सृजन राज्य या केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से किया गया हो, वहां राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा ;

(म) भारत सरकार के और अन्य वचन-पत्रों, विनिमय पत्रों, चेकों या अन्य परक्राम्य लिखतों को आहरित और स्वीकार करना, तैयार करना और पृष्ठांकित करना, मिति काटे पर भुगतान करना और परक्रामण करना ;

(य) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से सम्पत्ति के संबंध में चाहे वह जंगम हो या स्थावर, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय की या विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए अर्जित की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियाँ भी हैं, हस्तान्तरण पत्रों, अन्तरणों, प्रतिहस्तान्तरणों, बन्धकों, पट्टों, लाइसेन्सों और करारों का निष्पादन करना ;

(र) किसी लिखत को निष्पादित करने या विश्वविद्यालय के किसी कारोबार का संव्यवहार करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को, जिसे वह ठीक समझे, नियुक्त करना ;

(ल) अनुदान प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकरणों के साथ कोई करार करना ;

(व) बन्धपत्रों, बंधकों, वचनपत्रों या अन्य दायित्वों या प्रतिभूतियों पर, जो विश्वविद्यालय की समस्त या किन्हीं सम्पत्तियों और आस्तियों पर निधिकृत या आधारित हों या बिना किसी प्रतिभूति के और ऐसी निबन्धनों और शर्तों पर जैसा वह ठीक समझे, धन जुटाना और उधार लेना और विश्वविद्यालय की निधि से समस्त व्ययों, जो धन जुटाने के आनुषंगिक हो, का भुगतान करना और उधार लिये गये किसी धन का भुगतान और मोचन करना ;

(श) विश्वविद्यालय की निधियों या विश्वविद्यालय को न्यस्त निधियों का ऐसी प्रतिभूतियों में या पर और ऐसी रीति से जैसी वह उचित समझे, विनिधान करना और समय-समय पर किसी विनिधान का अन्तर्विनिमय करना ;

(ष) शैक्षणिक, प्राविधिक, प्रशासनिक और अन्य कर्मचारिवृन्द के प्रसुविधार्थ, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी परिनियमावली द्वारा विहित की जाये, पेंशन, बीमा, भविष्य निधि और उपादान का सृजन करना जैसा वह उचित समझे और ऐसे अनुदान देना जैसा वह विश्वविद्यालय के किन्हीं कर्मचारियों के प्रसुविधार्थ उचित समझे और ऐसे संघों, संस्थाओं, निधियों, न्यासों और हस्तान्तरण की स्थापना व समर्थन में सहायता करना, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारिवृन्द तथा छात्रों के लिए लाभप्रद हों ;

(स) ऐसे समस्त अन्य कार्य व कृत्य करना, जिन्हें विश्वविद्यालय अपने समस्त या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति या विस्तार के लिए आवश्यक, सहायक या आनुषंगिक समझे।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

8-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:-

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) प्रति-कुलपति;

(घ) विभागाध्यक्ष;

(ङ) कुल सचिव;

(च) वित्त अधिकारी; और

(छ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायं।

कुलाधिपति

9-(1) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे:

परन्तु यह कि राघवीयो जगद्गुरू स्वामी रामभद्राचार्य जीवन पर्यन्त कुलाधिपति होंगे।

(2) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रधान होंगे।

(3) कुलाधिपति को ऐसी शक्तियाँ होंगी जो उसे इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी परिनियमावली द्वारा प्रदान की जाय।

(4) कोई मानक उपाधि या विशिष्टता प्रदान करने का प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अध्यधीन होगी।

(5) कुलाधिपति, यदि उपस्थित हों, उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा और वह विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को, अपनी ऐसी शक्तियाँ जैसी वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

कुलपति

10-(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा उन व्यक्तियों में से की जायेगी जिनके नाम उपधारा 2 के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा कुलाधिपति को भेजे जायें.

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(क) एक सदस्य राज्य के दिव्यांजन सशक्तिकरण विभाग का प्रभारी अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव होगा।

(ख) एक सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट विख्यात दिव्यांग व्यक्ति होगा।

(ग) सामान्य परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक सदस्य।

(3) पूर्वोक्त समिति तीन नामों की संस्तुति करेगी।

(4) कुलाधिपति ऐसी समिति द्वारा संस्तुत तीन नामों में से एक को अपनी सहमति देगा/देगी।

(5) कुलपति अपना पदभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा:

परन्तु यह कि कुलपति, कुलाधिपति को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा और कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्याग-पत्र स्वीकार कर लिये जाने पर वह अपना पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा।

(6) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन कुलपति की परिलब्धियां और अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित की जायं।

(7) कुलपति किसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि की प्रसुविधा का हकदार नहीं होगा।

(8) यदि कुलपति का पद छुट्टी लेने के कारण या त्याग-पत्र या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाय या उसका रिक्त होना सम्भाव्य हो, जिसकी सूचना कुलसचिव द्वारा सामान्य परिषद के अध्यक्ष को तुरन्त दी जायेगी, तो राज्य सरकार किसी उपयुक्त व्यक्ति को कुलपति के पद पर अनधिक छः माह की अवधि के लिये नियुक्त कर सकती है।

(9) यदि सामान्य परिषद की राय में कुलपति जानबूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित नहीं करता है, या क्रियान्वित करने से इन्कार करता है, या अपने निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, या यदि सामान्य परिषद को अन्यथा प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के लिये अहितकर है तो वह ऐसी जाँच करने के पश्चात् जिसे छः माह के भीतर अधिमानतः पूरा कर लिया जायेगा, उसको सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा कुलपति को हटाने की संस्तुति कुलाधिपति को कर सकती है। कुलाधिपति कुलपति को पद से हटा सकता है।

(10) उपधारा (9) में निर्दिष्ट किसी जाँच के लम्बित या अनुध्यात रहने के दौरान राज्य सरकार यह आदेश दे सकती है कि अग्रतर आदेशों तक-

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कृत्यों से विरत रहेगा किन्तु उसे ऐसी परिलब्धियां प्राप्त होती रहेंगी जिनके लिये वह अन्यथा उपधारा (6) के अधीन हकदार था।

(ख) कुलपति के पद के कृत्यों का निष्पादन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

(11) कुलपति-

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम के उपबन्धों और परिनियमों का समुचित अनुपालन किया जाता है और उसमें उस प्रयोजन के लिए आवश्यक समस्त शक्तियां होंगी;

(ख) कार्य परिषद के विनिर्दिष्ट और सामान्य निदेशों के अध्यधीन कुलपति विश्वविद्यालय के प्रबन्धन और प्रशासन में कार्य परिषद की शक्तियों का प्रयोग करेगा;

(ग) सामान्य परिषद, कार्य परिषद, विद्या परिषद की बैठकों को आहूत करेगा और समस्त अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के निमित्त आवश्यक हों;

(घ) को विश्वविद्यालय में समुचित रूप से अनुशासन बनाये रखने से संबंधित समस्त शक्तियां होंगी।

(12) यदि कुलपति की राय में कोई आपात स्थिति आ गयी हो, जिसके लिये तत्काल कार्यवाही की जानी अपेक्षित हो तो वह ऐसी कार्यवाही करेगा जैसा वह आवश्यक समझे और उक्त के संबंध में संबंधित प्राधिकरण, जिसने सामान्य स्थिति के मामले में कार्यवाही की होती, को आगामी बैठक में पुष्टि के लिये सूचित करेगा।

प्रति-कुलपति

11- प्रति-कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जा सकेगी जैसी विहित की जाय और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जो विहित किये जायं।

विभागाध्यक्ष

12- विभागाध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय और वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे जैसा कि विहित किये जायं।

कुलसचिव

13- (1) कुलसचिव, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा राज्य के ऐसे ज्येष्ठ अधिकारियों में से की जायेगी जिसे दिव्यांगता के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव हो तथा उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करता हो।

(2) कुलसचिव, कार्य परिषद, विद्या परिषद का पदेन सचिव होगा, किन्तु उसे इन प्राधिकरणों में से किसी का सदस्य नहीं समझा जायेगा।

(3) कुलसचिव-

(क) कार्य परिषद और कुलपति के समस्त निदेशों और आदेशों का अनुपालन करेगा;

(ख) विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा जिन्हें कार्य परिषद उसके प्रभार में सुपुर्द करे;

(ग) कार्य परिषद, विद्या परिषद, वित्त समिति, संकायों, पाठ्य बोर्ड और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किसी समिति की बैठक आहूत करने वाली समस्त नोटिसों को जारी करेगा;

(घ) कार्य परिषद, विद्या परिषद, वित्त समिति, संकायों और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किसी समिति की समस्त बैठकों का कार्यवृत्त रखेगा;

(ङ) कार्य परिषद और विद्या परिषद का शासकीय पत्र व्यवहार करेगा;

(च) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की बैठकों की यथा शीघ्र जारी की जाने वाली कार्यसूची और बैठक आयोजित किये जाने के सामान्यतः एक माह के भीतर प्राधिकारियों की बैठकों के कार्यवृत्तों की प्रतियां कुलाधिपति को उपलब्ध करायेगा;

(छ) किसी आपात स्थिति में, जब न तो कुलपति, न सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी कार्य करने में सक्षम हो, कार्य परिषद का तत्काल बैठक आहूत करेगा और विश्वविद्यालय का कार्य करने के लिये उसका निदेश लेगा;

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेगा, मुख्तारनामा पर हस्ताक्षर करेगा और अभिवचनों का सत्यापन करेगा या उक्त प्रयोजन के लिए प्रतिनिधियों को प्रतिनियुक्ति करेगा;

(झ) अपने कर्तव्यों और कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिये कुलपति के प्रति प्रत्यक्षतः उत्तरदायी होगा;

(ञ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जैसा कि कार्य परिषद या कुलपति द्वारा इस अधिनियम या परिनियमावली के उपबन्धों के अधीन समय-समय पर समनुदेशित किया जाये।

(4) किसी कारण से कुलसचिव का पद रिक्त रहने की स्थिति में कुलपति, विश्वविद्यालय की सेवा के किसी अधिकारी को कुलसचिव की ऐसी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

वित्त अधिकारी

14- (1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा जो राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उसका वेतन और भत्ता विश्वविद्यालय द्वारा संदत्त किया जायेगा।

(2) वित्त अधिकारी-

(क) कार्य परिषद के समक्ष बजट (वार्षिक प्राक्कलन) और लेखा-विवरण प्रस्तुत करेगा और विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण एवं वितरण भी करेगा;

(ख) मतदान को छोड़कर कार्यपरिषद के वित्तीय मामलों से सम्बन्धित कार्यवाहियों में बोलेगा अन्यथा उनमें भाग लेगा;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि बजट में अप्राधिकृत कोई व्यय, विश्वविद्यालय द्वारा (विनिधान के माध्यम को छोड़कर) उपगत नहीं किया जाता है;

(घ) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अनुमति प्रदान नहीं करेगा जो इस अधिनियम या परिनियमावली के उपबंधों का उल्लंघन करता हो;

(ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि कोई वित्तीय अनियमितता न की जाये और लेखा परीक्षा के दौरान इंगित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यवाही करेगा;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनिधानों का सम्यक रूप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है;

(छ) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा;

(ज) वित्तीय मामलों में स्वप्रेरणा से या परामर्श मांगे जाने पर परामर्श देगा;

(झ) विश्वविद्यालय के आय का संग्रह करेगा, संदायों का वितरण करेगा और लेखाओं का अनुरक्षण करेगा;

(ञ) यह सुनिश्चित करेगा कि भवनों, भूमि, फर्नीचर के सामानों और उपस्करों के रजिस्टर अद्यतन रूप में अनुरक्षित रखे जाते हैं और यह कि उपस्कर और अन्य खपने वाली सामग्री की स्टाक जाँच विश्वविद्यालय में नियमित रूप से की जाती है;

(ट) किसी अनधिकृत व्यय और अन्य वित्तीय अनियमितताओं की जाँच करेगा और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी को अनुशासनिक कार्यवाही के लिए सुझाव देगा;

(ठ) वित्तीय मामलों में ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो उसे कार्य परिषद या कुलपति द्वारा समनुदेशित किये जायें;

(3) किसी अन्य कारण से वित्त अधिकारी का पद रिक्त रहने की स्थिति में कुलपति विश्वविद्यालय की सेवा में किसी अधिकारी को वित्त अधिकारी की ऐसी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों, जैसा कि वह उचित समझे, का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

(4) वित्त अधिकारी की पहुँच ऐसे अभिलेखों तथा दस्तावेजों तक होगी, तथा वह ऐसे अभिलेखों एवं दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो ।

अन्य अधिकारी

15- (1) उक्त प्रयोजन के लिए बनाये गये परिनियमों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के प्रत्येक अन्य अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति, परिनियमों द्वारा यथा विहित सेवा शर्तों को उपवर्णित करते हुए लिखित संविदा के अधीन की जायेगी जो विश्वविद्यालय को सौंपी जायेगी, और इसकी एक प्रति संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को प्रस्तुत की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय और उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी के मध्य संविदा के कारण उत्पन्न हुए किसी विवाद को संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के अनुरोध पर या विश्वविद्यालय की प्रेरणा से अध्यादेशों द्वारा यथाविहित, कार्यपरिषद द्वारा नियुक्त तीन सदस्यों से गठित किसी न्यायाधिकरण को माध्यस्थम हेतु निर्दिष्ट किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

16- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे-

(एक) सामान्य परिषद;

(दो) कार्यपरिषद;

(तीन) विद्या परिषद;

(चार) वित्त समिति और

(पाँच) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जो विहित किये जायं।

सामान्य परिषद

17- विश्वविद्यालय की एक सामान्य परिषद होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

एक-पदेन सदस्य

(एक) कुलाधिपति जो सामान्य परिषद का अध्यक्ष होगा;

(दो) प्रभारी अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नामनिर्देशिती, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग;

(तीन) आयुक्त,दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश सरकार;

(चार) अध्यक्ष, भारतीय पुनर्वास परिषद या उसका नामनिर्देशिती;

(पाँच) विश्वविद्यालय का कुलपति, जो सामान्य परिषद का सचिव होगा।

दो-नामनिर्दिष्ट सदस्य

(छः) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय का कुलपति;

(सात) चार प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

सामान्य परिषद के सदस्यों की पदावधि

18- (1) सामान्य परिषद के नाम निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि, उपधारा (2) और (3) के अध्यधीन दो वर्ष होगी।

(2) सामान्य परिषद के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति ऐसा सदस्य होने से प्रविरत हो जायेगा, यदि इस रूप में उसका नाम निर्देशन यथास्थिति नाम निर्देशक निकाय या व्यक्ति द्वारा प्रत्याहृत कर लिया जाय।

(3) सामान्य परिषद का कोई सदस्य, यदि त्यागपत्र दे दे या विकृत मस्तिष्क का हो जाये या दिवालिया हो जाय या ऐसे दाण्डिक अपराध जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्विष्ट हो, के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाय या यदि कुलपति से भिन्न कोई सदस्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर ले या यदि वह अध्यक्ष से छुट्टी स्वीकृत कराये बिना सामान्य परिषद के तीन लगातार बैठकों में उपस्थित रहने में विफल रहे या विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल कार्य करे तो वह सदस्य होने से प्रविरत हो जायेगा।

(4) सामान्य परिषद का कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य, अध्यक्ष को सम्बोधित किसी पत्र द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है और अध्यक्ष द्वारा ऐसा त्यागपत्र स्वीकृत करते ही त्यागपत्र प्रभावी हो जायेगा।

(5) सामान्य परिषद में कोई रिक्ति ऐसे संबंधित प्राधिकारी, जो नामनिर्देशन करने के लिए हकदार हो, द्वारा किसी व्यक्ति के नाम निर्देशन द्वारा भरा जायेगा और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि वह सदस्य, जिसके स्थान पर उसे नामनिर्दिष्ट किया गया है, यदि रिक्ति न हुई होती, पद पर बना रहता।

सामान्य परिषद की शक्तियां

19- सामान्य परिषद की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्:-

(एक)- इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन धारा 7 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के कृत्यों और शक्तियों, का प्रयोग करना, सिवाय जबकि ऐसी शक्तियाँ विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी को प्रदान की गयी हों;

(दो)-विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और उसके कार्यक्रमों का समय-समय पर समीक्षा करना और विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपाय करना;

(तीन)- वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय प्राक्कलनों, वार्षिक लेखाओं और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्टों पर विचार करना और ऐसे संकल्प पारित करना जैसे उचित समझे जायं;

(चार)- अपनी समस्त या किन्हीं शक्तियों को कुलपति को या किसी समिति को या किसी उपसमिति को या अपने किसी एक या उससे अधिक सदस्यों को प्रत्यायोजित करना; और

(पाँच)- ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना, जिन्हें वह विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्ण क्रियान्वयन और प्रशासन के लिए आवश्यक समझे।

सामान्य परिषद की बैठकें

20- (1) सामान्य परिषद वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

(2) अध्यक्ष सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) सामान्य परिषद की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई भाग से किसी बैठक की गणपूर्ति होगी।

(4) प्रत्येक सदस्य एक मत देगा और यदि सामान्य परिषद द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर मत बराबर हो, तो अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा।

(5) यदि सामान्य परिषद द्वारा अत्यावश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो जाय, तो अध्यक्ष सामान्य परिषद के सदस्यों में पत्र के परिचालन द्वारा कारबार को संव्यवहृत किये जाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकता है। प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि सामान्य परिषद के कुल सदस्यों के एक तिहाई द्वारा सहमति न हो जाये। इस प्रकार कृत कार्यवाही के संबंध में सामान्य परिषद के समस्त सदस्यों को तत्काल संसूचित किया जायेगा और पत्र जात को सामान्य परिषद के आगामी बैठक के समक्ष पुष्टि के लिए रखा जायेगा।

(6) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली की रिपोर्ट एवं साथ में प्राप्तियों और व्यय का विवरण, यथासंपरीक्षित तुलन-पत्र और वित्तीय प्राक्कलन, कुलपति द्वारा सामान्य परिषद के समक्ष उसके वार्षिक बैठक में प्रस्तुत किये जायेंगे।

कार्य परिषद

21- (1) कार्य परिषद विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी।

(2) विश्वविद्यालय का प्रशासन, प्रबंध और नियंत्रण और उसकी आय कार्य-परिषद में निहित होगी जो विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों पर नियंत्रण रखेगी और उन्हें प्रशासित करेगी।

कार्य परिषद का गठन

22-(1) कार्यपरिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात-

(एक)- कुलपति;

(दो)- निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार;

(तीन)- निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार;

(चार)- विश्वविद्यालय का कुलसचिव;

(पाँच)- कुलाधिपति द्वारा राज्य निर्दिष्ट शिक्षा क्षेत्र के तीन प्रख्यात व्यक्ति;

(छः)- तीन सामाजिक ख्याति प्राप्त व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(सात)-ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के दो पूर्णकालिक ज्येष्ठ आचार्य;

(2) कुलपति कार्यपरिषद का अध्यक्ष होगा और कुलसचिव कार्य परिषद का सचिव होगा।

कार्यपरिषद के सदस्यों की पदावधि

23-(1) जहाँ कोई व्यक्ति स्वयं द्वारा धृत पद या नियुक्ति के कारण कार्यपरिषद का सदस्य हो वहाँ ऐसे पद पर या ऐसी नियुक्ति में उसके न रह जाने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

(2) कार्यपरिषद का कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य उसका सदस्य होने से प्रविरत हो जायेगा, यदि वह त्याग-पत्र दे दे या विकृत चित्त का हो जाये या दिवालिया हो जाय, या ऐसे दांडिक अपराध जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो, के लिए दोष सिद्ध ठहरा दिया जाय, यदि कुलपति से भिन्न कोई सदस्य या किसी संकाय का कोई सदस्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर ले या यदि वह कार्यपरिषद के अध्यक्ष द्वारा अवकाश स्वीकृत कराये बिना कार्यपरिषद की तीन लगातार बैठकों में उपस्थित रहने में विफल रहे या विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल कार्य करे।

(3) जब तक पूर्वगामी उपधाराओं में उपबंधित रूप से कार्य परिषद की सदस्यता पहले से ही समाप्त न कर दी गयी हो, कार्य परिषद के नामनिर्दिष्ट सदस्य, स्वयं द्वारा कार्यपरिषद का सदस्य बनने के दिनांक से तीन वर्ष की समाप्ति पर अपनी सदस्यता का त्याग कर देंगे, किन्तु वे यथास्थिति पुनः नाम निर्देशन या पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(4) पदेन सदस्य से भिन्न कार्य परिषद का कोई सदस्य कार्य परिषद के अध्यक्ष को सम्बोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है और ऐसा त्याग-पत्र कार्य परिषद के अध्यक्ष द्वारा स्वीकार करते ही प्रभावी हो जाएगा।

(5) कार्य परिषद में कोई रिक्ति ऐसे संबंधित प्राधिकारी, जो ऐसी नियुक्ति या नाम निर्देशन करने के लिए सशक्त हो, द्वारा यथास्थिति या तो नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी या नाम निर्देशन द्वारा भरी जायेगी और रिक्ति की अवधि समाप्त हो जाने पर ऐसी नियुक्ति या नाम निर्देशन प्रभावी नहीं रह जायेगा।

कार्यपरिषद की शक्तियाँ और कृत्य

24- धारा 21 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्य परिषद की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे :-

(एक) विद्या परिषद की संस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय में अध्यापन के पदों को सृजित करना और उनसे संबंधित अर्हताओं, उपलब्धियों और कर्तव्यों को अवधारित करना;

(दो) उक्त प्रयोजनार्थ परिनियमों द्वारा गठित, चयन समिति की संस्तुतियों पर आचार्यों, उपाचार्यों प्राध्यापकों, अध्यापन कर्मचारिवृन्द के अन्य सदस्यों, पुस्तकालयाध्यक्ष और अध्यापन कर्मचारिवृन्द के आवश्यक अन्य सदस्यों की समय-समय पर नियुक्ति करना;

(तीन) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा ऐसे पदों की न्यूनतम अर्हताओं और उपलब्धियों का अवधारणा करना;

(चार) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, सम्पत्ति, कारोबार और अन्य समस्त प्रशासनिक मामलों का प्रबन्ध और विनियमन करना;

(पाँच) विश्वविद्यालय के किसी धन को, जिसके अंतर्गत अप्रयुक्त आय भी है, ऐसे स्टाक निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों में, जिन्हें वह समय-समय पर ठीक समझे, या भारत में स्थावर सम्पत्ति क्रय करने में विनिधान करना और समय-समय पर ऐसे विनिधानों में परिवर्तन करना;

(छः) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण करना या अन्तरण को स्वीकार करना:

परन्तु यह कि कोई भी स्थावर सम्पत्ति राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना तीसरे पक्ष को अन्तरित नहीं की जायेगी;

(सात) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित करना और निरस्त करना और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करना जिन्हें वह ठीक समझे;

(आठ) विश्वविद्यालय के कार्य संचालन के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचरों और साधित्रों और अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(नौ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, छात्रों और कर्मचारियों, जो किसी कारणवश क्षुब्ध अनुभव करें, की किन्हीं शिकायतों को ग्रहण करना, उनका न्याय-निर्णयन करना और उनका निराकरण करना;

(दस) विद्या परिषद से परामर्श करने के पश्चात परीक्षकों और अनुसीमको की नियुक्ति करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना और उनकी फीस, परिलब्धियों, यात्रा और अन्य भत्ते नियत करना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय के लिए एक सामान्य मुहर का चयन करना और मुहर की अभिरक्षा के लिए व्यवस्था करना;

(बारह) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों और प्रबन्धन को विनियमित करने के लिए समय-समय पर ऐसे परिनियम बनाना जो आवश्यक समझे जायें, और उन्हें परिवर्तित, उपान्तरित एवं विखण्डित करना;

(तेरह) अपनी किन्हीं शक्तियों को, परिनियमावली बनाने की शक्ति को छोड़कर, किसी अधिकारी या प्राधिकारी को स्थायी या अस्थायी रूप से प्रत्यायोजित करना; और

(चौदह) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किया जाये।

प्रवेश और नियुक्तियों में आरक्षण

25-(1) कार्य परिषद परिनियमावली द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़ें वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में यथा परिभाषित उत्तर प्रदेश राज्य के निवासियों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़ें वर्गों के सदस्यों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है।

(2) कार्यपरिषद परिनियमावली द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश में अन्यून पचास प्रतिशत स्थान दिव्यांगजन के लिए आरक्षित करेगी।

(3) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़ें वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबन्ध और आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश और अनुदेश विश्वविद्यालय के प्रत्येक विद्यमान अध्यापन या अध्यापनेतर कर्मचारिवृन्द में सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर लागू होंगे।

कार्य परिषद की बैठकें

26-(1) कार्य परिषद तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी और ऐसी बैठक के लिए उसके सदस्यों को अन्यून पन्द्रह दिन की नोटिस दी जायेगी।

(2) कार्य परिषद का अध्यक्ष कार्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करेंगे।

(3) कार्य परिषद के कुल सदस्यों के एक तिहाई संख्या से उसकी किसी बैठक की गणपूर्ति होगी।

(4) कार्य परिषद का प्रत्येक सदस्य एक मत देगा और यदि कार्य परिषद द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर मत बराबर हो तो यथास्थिति, कार्य परिषद का अध्यक्ष या उक्त बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का एक अतिरिक्त मत निर्णायक होगा।

कार्य परिषद द्वारा स्थायी समिति गठन और तदर्थ समितियों की नियुक्ति

27-(1) इस अधिनियम के उपबन्धों या इस निमित्त बनाई गई परिनियमावली के अध्यधीन कार्य परिषद संकल्प द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी शक्तियों से युक्त जैसी कार्य परिषद किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए या विश्वविद्यालय के किसी कृत्य के निर्वहन के लिये या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी मामले में जाँच, उस पर रिपोर्ट या सलाह देने के लिए ठीक समझे, ऐसी स्थायी समितियों का गठन या तदर्थ समितियों की नियुक्ति कर सकती है।

(2) कार्य परिषद किसी स्थायी समिति या किसी तदर्थ समिति, जैसा वह उचित समझे, के लिए ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित कर सकती है और उन्हें कार्य परिषद की बैठकों में सम्मिलित होने की अनुज्ञा दे सकती है।

विद्या परिषद

28- विद्या परिषद विश्वविद्यालय की शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम और परिनियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन उसके पास नियंत्रण एवं सामान्य विनियमन की शक्ति होगी और वह विश्वविद्यालय में दिये जाने वाले अनुदेशों, शिक्षा और परीक्षा के मानकों को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निष्पादन करेगी, जैसे कि उसे इस अधिनियम या परिनियमावली द्वारा प्रदत्त या समुनिदेशित किया जाय। सभी शैक्षिक मामलों में उसे कार्य परिषद को सलाह देने का अधिकार होगा।

विद्या परिषद का गठन

29- (1) विद्या परिषद के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(एक) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा,

(दो) प्रख्यात शिक्षाविदों या विद्वानों या किसी वृत्ति के सदस्यों या प्रख्यात लोकप्रिय व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, सामान्य परिषद के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

(तीन) विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष;

(चार) चक्रानुक्रम द्वारा प्रत्येक विभाग से एक आचार्य, जिसे कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो,

(पाँच) अध्यापन कर्मचारिवृन्द के दो सदस्य जिनमें से एक-एक सदस्य विश्वविद्यालय के आचार्य और सह-आचार्य का प्रतिनिधित्व करेगा।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

(3) जहाँ कोई व्यक्ति, पद या नियुक्ति, जिसे वह धारण करता हो, के कारण विद्या परिषद का सदस्य हो, वहाँ उसके पद या नियुक्ति पर न रह जाने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

(4) विद्या परिषद का कोई सदस्य, सदस्य होने से प्रविरत हो जायेगा, यदि वह त्याग-पत्र दे दे या विकृत चित्त का हो जाये या दिवालिया हो जाये या नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी दाण्डिक अपराध का सिद्ध दोष हो या यदि कुलपति से भिन्न कोई सदस्य या संकाय का कोई सदस्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार ले, या यदि वह विद्या परिषद के अध्यक्ष की छुट्टी के बिना विद्या परिषद की तीन लगातार बैठकों में सम्मिलित होने में विफल रहे।

(5) जब तक विद्या परिषद की उनकी सदस्यता पूर्वगामी उपधाराओं में यथा उपबन्धित रूप में पूर्व में समाप्त नहीं कर दी जाती है, तब तक विद्या परिषद के सदस्य उस दिनांक से जिस दिनांक को वे विद्या परिषद के सदस्य होते हैं, दो वर्ष के अवसान पर अपना पद त्याग कर देंगे, किन्तु यथास्थिति पुनः नामनिर्दिष्ट या पुनः नियुक्ति के लिये पात्र होंगे।

(6) किसी पदेन सदस्य से भिन्न विद्या परिषद का कोई सदस्य विद्या परिषद के अध्यक्ष को सम्बोधित किसी पत्र द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है और ऐसा त्याग-पत्र विद्या परिषद के अध्यक्ष द्वारा स्वीकार करते ही प्रभावी हो जायेगा।

(7) विद्या परिषद में कोई रिक्ति, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उक्त को पूरा करने के लिये, यथास्थिति, नियुक्ति या नाम-निर्देशन द्वारा भरी जायेगी।

विद्या परिषद की शक्तियां और कर्तव्य

30- इस अधिनियम या परिनियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन विद्या परिषद को उसमें निहित अन्य समस्त शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :-

(एक) सामान्य परिषद या कार्य परिषद द्वारा उसे निर्दिष्ट या प्रत्यायोजित किसी विषय पर रिपोर्ट करना;

(दो) विश्वविद्यालय में अध्यापन के पदों के सृजन, समापन या वर्गीकरण और उससे सम्बद्ध अर्हताओं, परिलब्धियों और कर्तव्यों के संबंध में कार्य परिषद को संस्तुतियाँ करना;

(तीन) संकायों के संगठन के लिए योजनायें नियत करना और उपान्तरित करना या पुनरीक्षित करना और ऐसे संकायों को उनके अपने-अपने विषयों को समनुदेशित करना और कार्य परिषद को किसी संकाय के समापन या उप-विभाजन या एक संकाय को दूसरे के साथ संयोजन की समीचीनता के संबंध में भी रिपोर्ट करना;

(चार) विश्वविद्यालय के अंतर्गत शोध का संवर्द्धन करना और ऐसे शोध पर समय-समय पर रिपोर्ट की अपेक्षा करना;

(पाँच) संकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना;

(छः) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सन्नियम बनाना और समितियां नियुक्त करना;

(सात) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं की डिप्लोमा तथा उपाधियों को मान्यता प्रदान करना और विश्वविद्यालय की डिप्लोमा और उपाधि के संबंध में उनकी समतुल्यता अवधारित करना ;

(आठ) सामान्य परिषद द्वारा स्वीकृत किन्हीं शर्तों के अध्यधीन अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों और अन्य पारितोषिकों के लिए प्रतियोगिताओं का समय, तरीका और शर्तें नियत करना और उन्हें प्रदान करना;

(नौ) परीक्षकों की नियुक्ति और यदि आवश्यक हो, उनके हटाये जाने और उनकी फीस, परिलब्धियाँ तथा यात्रा और अन्य व्ययों को नियत करने के संबंध में कार्य परिषद को संस्तुति करना;

(दस) परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था करना और उन्हें आयोजित करने के लिए दिनाँक नियत करना;

(ग्यारह) विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना या ऐसा करने के लिये समितियों या अधिकारियों की नियुक्ति करना और उपाधियाँ, सम्मान, डिप्लोमा, अनुज्ञप्ति, अभिधान और सम्मान चिन्ह प्रदान करने या प्रदान करने के संबंध में संस्तुति करना ;

(बारह) वृत्तिका, छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार प्रदान करना और विनियमावली और ऐसी अन्य शर्तों, जैसी कि पुरस्कारों से सम्बद्ध की जा सकें, के अनुसार अन्य पुरस्कार प्रदान करना ;

(तेरह) विहित या संस्तुतिकृत पाठ्य पुस्तकों की सूची प्रकाशित करना और विहित पाठ्यक्रमों के पाठ्य विवरण प्रकाशित करना ;

(चौदह) ऐसे प्रपत्रों और रजिस्टरों को तैयार करना, जो परिनियमावली द्वारा समय-समय पर विहित किये जाते हैं, और

(पन्द्रह) शैक्षणिक विषयों के संबंध में ऐसे समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करना और ऐसे समस्त कार्य करना जो इस अधिनियम और परिनियमावली के उपबन्धों के समुचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हों।

विद्या परिषद की बैठक

31- (1) विद्या परिषद किसी शैक्षणिक वर्ष के दौरान उतनी बार जितनी बार आवश्यक हो, किन्तु अन्यून दो हो, बैठक करेगी।

(2) विद्या परिषद का अध्यक्ष विद्या परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा, और उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से किसी व्यक्ति का निर्वाचन करेंगे।

(3) विद्या परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से विद्या परिषद के किसी बैठक की गणपूर्ति होगी।

(4) विद्या परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और यदि विद्या परिषद द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर मत होंगे तो यथास्थिति विद्या परिषद के अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का एक अतिरिक्त मत निर्णायक होगा।

वित्त समिति

32- (1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(एक) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(दो) सामान्य परिषद द्वारा चक्रानुक्रम में नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक आचार्य;

(तीन) कार्य परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट एक सदस्य;

(चार) कुल सचिव;

(पांच) वित्त अधिकारी जो इसका सदस्य सचिव होगा।

(2) वित्त समिति के नाम निर्दिष्ट सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(3) वित्त समिति की निम्नलिखित शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य होंगे, अर्थात्:-

(एक) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट का परीक्षण तथा उसकी संवीक्षा करना और कार्य परिषद को वित्तीय मामलों में संस्तुति करना;

(दो) नये व्यय के समस्त प्रस्तावों पर विचार करना और कार्य परिषद से संस्तुतियाँ करना;

(तीन) कार्य परिषद को संस्तुतियाँ करने के लिए आवधिक लेखा विवरणों पर विचार करना और समय-समय पर विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था के संबंध में समीक्षा करना और पुनर्विनियोग विवरणों और संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना;

(चार) स्वप्रेरणा से या कार्य परिषद या कुलपति के निदेश पर विश्वविद्यालय को प्रभावित करने वाले किसी वित्तीय मामले में कार्यपरिषद को अपना विचार देना और संस्तुति करना।

(4) जब तक वित्तीय निहितार्थ वाले किसी प्रस्ताव की वित्त समिति द्वारा संस्तुति न की जाये तब तक कार्य परिषद इस पर कोई विनिश्चय नहीं करेगी और यदि कार्य परिषद, वित्त समिति की संस्तुतियों से असहमत हो तो वह उक्त प्रस्ताव को अपनी असहमति के कारणों के साथ वित्त समिति को वापस करेगी और यदि कार्य परिषद पुनः वित्त समिति की संस्तुतियों से असहमत हो तो कार्य परिषद का विनिश्चय अन्तिम होगा।

अन्य प्राधिकरण

33- विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

प्राधिकरणों या निकायों की कार्यवाहियों का विधिमान्य न होना

34- (1) इस बात के होते हुए भी कि सामान्य परिषद, कार्यपरिषद, विद्यापरिषद या विश्वविद्यालय का कोई अन्य प्राधिकरण या निकाय सम्यक रूप से गठित नहीं है या किसी समय उसके गठन या पुनर्गठन में कोई त्रुटि रही है और इस बात के होते हुए भी कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण, समिति या निकाय का कोई ऐसा कार्य या कार्यवाही केवल निम्नलिखित कारणों से अविधिमान्य नहीं होगी :-

(क) उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि थी, या

(ख) उसके सदस्य के रूप में काम करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम-निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि थी; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो।

(2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के किसी संकल्प को किसी सदस्य पर नोटिस तामील करने में किसी अनियमितता के कारण अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा:

परन्तु यह कि ऐसे प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों पर ऐसी अनियमितता द्वारा प्रतिकूल प्रभाव न पड़ा हो।

परिनियम

35- इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन, परिनियमों में निम्नलिखित विषयों में से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात्:-

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियाँ और उनके कर्तव्य;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के सदस्यों का चयन, नियुक्ति, पदावधि, जिसके अन्तर्गत प्रथम सदस्यों का पद पर बना रहना भी सम्मिलित है, और उनकी सदस्यता में रिक्तियों की पूर्ति और इन प्राधिकरणों से संबंधित ऐसे अन्य समस्त विषय, जिनके लिये उपबन्ध करना आवश्यक या वांछनीय हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, कर्मचारिवृन्द / कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

(घ) विश्वविद्यालयों के अध्यापकों का वर्गीकरण और उनकी भर्ती (जिसमें न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव भी सम्मिलित हैं), उनके द्वारा विद्या सम्बन्धी अपनी वार्षिक रिपोर्ट का अनुरक्षण, उनके द्वारा अनुपालनीय आचरण नियम और उनकी परिलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तें (जिसमें अनिवार्य/ स्वैच्छिक सेवानिवृति आदि से सम्बन्धित उपबन्ध भी सम्मिलित हैं);

(ङ) विश्वविद्यालय के अधीन अन्य पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती (जिनमें न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव भी सम्मिलित है) और उनकी परिलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें (जिसमें अनिवार्य / स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदि से सम्बन्धित उपबन्ध भी सम्मिलित हैं);

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, कर्मचारिवृन्द / कर्मचारियों की प्रसुविधा के लिए पेंशन, भविष्य निधि, उपदान, साधारण बीमा योजना, चिकित्सा भत्ता, बीमा, अवकाश यात्रा सुविधा, दो बच्चों के शुल्क की प्रतिपूर्ति, पारिवारिक पेंशन, सुलभ ऋण आदि का गठन और अन्य भत्ते / परिलब्धियां, बीमा स्कीम की स्थापना;

(छ) उपाधियाँ, डिप्लोमा, परास्नातक डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं संस्थित करना;

(ज) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(झ) उपाधियों, डिप्लोमाओं तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं का वापस लिया जाना;

(ञ) इकाइयों की स्थापना, उनका आमेलन, उत्सादन और मान्यता;

(ट) विश्वविद्यालय के अवकाश और अन्य नियम, यदि यहाँ उल्लिखित न हों, वही होंगे जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के नियम हैं;

(ठ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रनिवासों तथा छात्रावासों की स्थापना, उनका उत्सादन और मान्यता;

(ड) प्रमाण-पत्रों के साथ-साथ, पुरस्कार आदि हेतु छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति, विद्यावृत्ति, वजीफा, पदक एवं पर्याप्त वित्तीय पारितोषिकों को संस्थित करना;

(ढ) दीक्षांत समारोह का आयोजन करना;

(ण) अन्य समस्त विषय जो इस अधिनियम द्वारा, परिनियमों द्वारा उपबन्धित किये जाने हों या किये जा सकते हैं।

परिनियमों में संशोधन करने की शक्ति

36- सामान्य परिषद, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी, या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी।

अध्यादेश

37– (1) इस अधिनियम या परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात्:-

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश तथा उनका नामांकन होना और इस रूप में बना रहना;

(ख) विश्वविद्यालय की समस्त उपाधियों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम;

(ग) उपाधियों तथा अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं को प्रदान करना;

(घ) अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, पदक तथा पारितोषिक प्रदान करने की शर्तें;

(ङ) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा निकायों, परीक्षकों, अन्तरीक्षकों, सारणीकारों तथा अनुसीमकों की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्तव्य;

(च) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं में प्रवेश हेतु प्रभारित की जाने वाली फीस;

(छ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्तें;

(ज) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के छात्रों के मध्य अनुशासन बनाए रखना;

(झ) अन्य समस्त विषय, जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अपेक्षित हों या उपबंधित हों।

(2) प्रथम अध्यादेश कुलपति द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से बनाया जाएगा और इस प्रकार बनाए गए अध्यादेशों को परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से कार्य परिषद द्वारा किसी भी समय संशोधित, निरस्त या परिवर्द्धित किया जा सकता है।

अध्यादेशों को संशोधित करने की शक्ति

38- विद्या परिषद कार्य परिषद के अनुमोदन से राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन नये या अतिरिक्त अध्यादेश बना सकेगी या अध्यादेशों को संशोधित या निरसित कर सकेगी।

चयन समिति

39- (1) कार्यपरिषद, विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति के लिए कार्यपरिषद से संस्तुति करने के लिए चयन समिति का गठन करेगी।

(2) क- चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(एक) कुलपति, जो समूह 'क' और समूह 'ख' के समस्त अध्यापन पदों और अध्यापनेतर पदों के लिए समिति का अध्यक्ष होगा;

(दो) कुल सचिव, समूह 'ग' और समूह 'घ' के समस्त अध्यापनेतर पदों के लिए समिति का अध्यक्ष होगा;

(तीन) संबंधित विभागाध्यक्ष यदि कोई हो, जो ऐसे पद, जिसके लिए चयन किया जाना हो, के स्तर से निम्न स्तर के पद का न हो;

(चार) (क) जहाँ किसी अध्यापन पद के लिए नियुक्ति की जानी हो वहाँ विद्या परिषद द्वारा संस्तुत और कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ:

परन्तु यह कि विद्या परिषद और कार्य परिषद के गठन तक ऊपर निर्दिष्ट विशेषज्ञों को कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा।

(ख) जहाँ कोई नियुक्ति अध्यापन से संबंधित पद से भिन्न किसी पद पर की जानी हो तो कुलसचिव समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों हेतु सीधी भर्ती की प्रक्रिया (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) नियमावली, 2002 के उपबंधों के अनुसार चयन समिति का गठन करेगा।

छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील की प्रक्रिया और माध्यस्थम्

40-(1) विश्वविद्यालय के छात्रों के मध्य अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी अन्तिम प्राधिकारी कुलपति होगा। इस निमित्त उसके निदेशों का पालन विभागाध्यक्षों, छात्रावासों और विश्वविद्यालय की संस्थाओं के प्रधानों द्वारा किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी छात्र को परीक्षा से विवर्जित करने या विश्वविद्यालय या किसी छात्रावास या किसी संस्था से निष्कासित करने के दण्ड पर विचार और अधिरोपण, कुलपति की रिपोर्ट पर कार्य परिषद द्वारा किया जायेगा:

"परन्तु यह कि ऐसा कोई दण्ड सम्बन्धित छात्र को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना अधिरोपित नहीं किया जायेगा"।

अपील करने का अधिकार

41- विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी ऐसे महाविद्यालय के प्राचार्य के विनिश्चय के विरुद्ध कार्य परिषद को, ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाये, अपील करने का अधिकार होगा और उस पर कार्य परिषद ऐसे विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, पुष्ट, उपान्तरित या उलट सकता है।

भविष्य एवं पेंशन निधियाँ

42-विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों की प्रसुविधा के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्याधीन जो विहित की जाये, ऐसी भविष्य या पेंशन निधियों का गठन करेगा और ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा जैसा वह उचित समझे।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और निकायों के गठन के संबंध में विवाद

43- यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है तो उक्त मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

समितियों का गठन

44-जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण को, इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियाँ नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गयी हो, वहाँ ऐसी समितियों में, अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, संबंधित प्राधिकरण का कोई या समस्त सदस्य या ऐसे अन्य व्यक्ति, यदि कोई हों, जिन्हें प्राधिकरण प्रत्येक मामले में उचित समझे, सम्मिलित होंगे।

आकस्मिक रिक्तियों को भरा जाना

45- विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों के मध्य से किसी आकस्मिक रिक्ति को उसी रीति से भरा जायेगा जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति भरी जानी हो, नियुक्त किया गया हो, और रिक्ति को भरने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता।

अस्थायी उपबंध

46- (1) इस अधिनियम और परिनियमावली में अन्तर्विष्ट में किसी बात के होते हुए भी प्रथम कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिये ऐसी रीति और ऐसी शर्तों पर की जाएगी जो उचित समझी जाए। कुलपति, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन इस अधिनियम और परिनियमावली के उपबंधों का पालन करने के प्रयोजन से विश्वविद्यालय के समस्त या किसी कृत्य का निर्वहन कर सकता है और उस प्रयोजन के लिए किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है या किन्हीं कर्तव्यों का निष्पादन कर सकता है जिनका प्रयोग और निष्पादन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा तब तक इस अधिनियम और परिनियमावली द्वारा किया जाना है जब तक ऐसा प्राधिकरण इस अधिनियम और परिनियमावली द्वारा यथा उपबंधित रूप से अस्तित्व में नहीं आ जाता है।

(2) इस अधिनियम के अधीन अध्यादेशों या परिनियमों द्वारा उपबंधित किये जाने वाले मामलों में उस समय तक जब तक कि धारा 37 की उपधारा (2) के अधीन प्रथम अध्यादेश नहीं बनाए जाते हैं, जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2001) के उपबंधों के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व बनाये गये परिनियमों और अध्यादेशों के सुसंगत उपबंध लागू होंगे जहां तक वे इस अध्यादेश के उपबंधों से असंगत न हों।

स्थायी विन्यास निधि

47-(1) विश्वविद्यालय, कम से कम पांच करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा जिसे राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर इस निमित्त जारी अधिसूचना द्वारा बढ़ाया जा सकेगा।

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि में ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, विनिधान करने की शक्ति होगी;

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि में अन्तरित कर सकता है;

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से आहरित की जा सकती है।

विश्वविद्यालय की निधि

48- (1) विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा, जिसे "विश्वविद्यालय निधि" कहा जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

(एक) राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा कोई अंशदान या अनुदान या ऋण;

(दो) समस्त स्रोतों से विश्वविद्यालय की आय;

(तीन) विश्वविद्यालय द्वारा अनुदान, ऋण, उपहार, दान, उपकृतियों, वसीयतों या विन्यासों और अन्य अनुदानों, यदि कोई हो, के माध्यम से प्राप्त धनराशियाँ;

(चार) विश्वविद्यालय के प्रायोजित पीठाचार्य पदों, अध्येतावृतियों या अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना के लिये, विश्वविद्यालय और उद्योग के मध्य किये गये समझौता-ज्ञापन के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार सहयोगी उद्योगों से विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त धनराशियाँ; और

(पांच) किसी अन्य रीति से या किन्हीं अन्य स्रोतों से विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त धनराशियाँ।

(2) विश्वविद्यालय की अधिशेष निधि, कार्य परिषद द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा की जायेगी अथवा वित्त समिति की संस्तुति पर उसके द्वारा इसी रीति से या इस निमित्त समय-समय पर राज्य सरकार के अनुदेशों के अनुसार विनिधानित की जायेगी;

(3) विश्वविद्यालय की निधियों का प्रयोग, इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने और अपने कृत्यों का निर्वहन करने में उपगत व्ययों सहित विश्वविद्यालय के व्ययों के लिये किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण

49- (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन पत्र कार्य परिषद के निदेशों के अधीन तैयार किया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय की लेखासंपरीक्षा, वर्ष में न्यूनतम एक बार, निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये, करायी जायेगी।

(3) लेखाओं की जब सम्परीक्षा हो जाय तो कार्य परिषद द्वारा प्रकाशन किया जायेगा, और सम्परीक्षा रिपोर्ट सहित लेखाओं की एक प्रति सामान्य परिषद के समक्ष रखी जायेगी और उसे राज्य सरकार को भी प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) सामान्य परिषद द्वारा अपने वार्षिक बैठक में वार्षिक लेखाओं पर विचार किया जायेगा। सामान्य परिषद उससे संबंधित संकल्प पारित कर सकती है और उसे कार्य परिषद को संसूचित कर सकती है। कार्य परिषद सामान्य परिषद द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करेगी और उस पर ऐसी कार्यवाही कर सकती है जैसी वह उचित समझे। कार्य परिषद सामान्य परिषद को उसकी अगली बैठक में अपने द्वारा कृत समस्त कार्यवाहियों या कार्यवाही न करने के कारणों की सूचना देगी।

वार्षिक रिपोर्ट

50- (1) कार्य परिषद, ऐसे दिनांक से पूर्व, जैसा कि परिनियमावली द्वारा विहित किया जाये, आगामी वर्ष के लिए वित्तीय प्राक्कलन तैयार करेगी और उसे सामान्य परिषद के समक्ष रखेगी।

(2) कार्य परिषद, ऐसे मामले में जहाँ बजट में उपबन्धित धनराशि के आधिक्य में व्यय उपगत किया जाना हो या लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से आत्ययिकता के मामलों में, परिनियमावली में विनिर्दिष्ट ऐसी निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन व्यय उपगत कर सकती है, जहाँ ऐसे आधिक्य व्यय के संबंध में बजट में कोई उपबन्ध नहीं किया गया हो वहाँ सामान्य परिषद को उसकी आगामी बैठक में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

अधिभार

51-(1) धारा 8 में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के लिए अधिभार का देनदार होगा यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हो।

(2) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि दुर्व्यय या दुरुपयोजन में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति

52- विश्वविद्यालय के कब्जाधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक रूप से अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित हो तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर में प्रविष्टि होने के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार के लिये साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती तो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती।

क्षतिपूर्ति

53- विश्वविद्यालय, कुलपति, विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाहियाँ, ऐसी किसी बात के संबंध में नहीं की जायेंगी और किसी क्षतिपूर्ति का दावा भी नहीं किया जायेगा, जो इस अध्यादेश या तदधीन बनायी गयी किसी परिनियमावली के अनुसरण में सदभावनापूर्वक की गयी हो या की जानी तात्पर्यित हो।

निदेश जारी करने की शक्ति

54. राज्य सरकार के पास समय-समय पर ऐसे निदेश जारी करने की शक्तियां होंगी जैसा कि इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये विनियमों और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों का अनुपालन करने के लिये अपेक्षित हो और विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगा।

संविदाओं का निष्पादन

55- विश्वविद्यालय के प्रबन्धन और प्रशासन से संबंधित समस्त संविदायें ऐसे अभिव्यक्त की जायेंगी जैसा कि कार्य परिषद द्वारा करायी गयी हो और जब संविदा का मूल्य दस लाख रूपये से अधिक हो तो उनका निष्पादन कुलपति द्वारा किया जायेगा, और जब इसका मूल्य दस लाख रुपये से अधिक न हो तो कुलसचिव द्वारा किया जायेगा।

कठिनाइयों का निराकरण

56-(1) राज्य सरकार, विशेषकर उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001 के विद्यमान उपबंधों से इस अधिनियम के उपबंधों में संक्रमण के सम्बन्ध में, कठिनाइयों का निराकरण करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेशित कर सकती हैं कि इस अधिनियम के उपबंध उस अवधि के दौरान, जिसे आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, ऐसे अनुकूलनों, चाहे वे उपान्तरण, परिवर्द्धन अथवा लोप के माध्यम से हों, के अध्यधीन प्रभावी होंगे जिन्हें वह आवश्यक अथवा समीचीन समझे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कृत प्रत्येक आदेश को राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश को किसी परिषद में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा कि उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उसका निराकरण किया जाना अपेक्षित नहीं था।

सम्पत्ति का अन्तरण

57- राज्य सरकार विश्वविद्यालय को ऐसी शर्तों पर और ऐसी सीमाओं के अध्यधीन जैसा कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उचित समझे, विश्वविद्यालय द्वारा उपयोग और प्रबन्धन के लिए भवनों, भूमि और किसी अन्य जंगम या स्थावर सम्पत्ति को अंतरित कर सकती है।

प्रायोजित योजनायें

58-इस अधिनियम और परिनियमावली में किसी बात के होते हुए भी जब कभी विश्वविद्यालय, किसी सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा निष्पादित की जाने वाली किसी योजना को प्रायोजित करने वाले अन्य अधिकरणों से निधियाँ प्राप्त करे तो:-

(क) ऐसी प्राप्त धनराशि, विश्वविद्यालय द्वारा निधि से पृथक रूप से रखी जायेगी, और उक्त योजना के प्रयोजनों के लिए ही उपयोग की जायेगी; और

(ख) योजना निष्पादित करने के लिए अपेक्षित कर्मचारिवर्ग की भर्ती, प्रायोजित करने वाले संगठन द्वारा नियत निबंधन और शर्तों के अनुसार की जायेगी।

विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि एवं डिप्लोमा आदि प्रदान किया जाना

59-विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के अधीन उपाधि, डिप्लोमा और विद्या संबंधी अन्य विशिष्टियाँ और अभिधान प्रदान करने की शक्ति होगी।

मानद उपाधि

60- यदि विद्या परिषद के अन्यून दो तिहाई सदस्य संस्तुति करते हैं कि किसी व्यक्ति को, इस आधार पर कि वह विख्यात उपलब्धि और पद के कारण ऐसी उपाधि या शैक्षणिक विशिष्टता प्राप्त करने के लिए उनकी राय में उपयुक्त और उचित है, कोई मानद उपाधि या शैक्षणिक विशिष्टता प्रदान की जाय, तो सामान्य परिषद किसी संकल्प द्वारा यह विनिश्चय कर सकती है कि उसे संस्तुत किये गये व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है।

उपाधि या डिप्लोमा को वापस लिया जाना

61- (1) सामान्य परिषद, कार्यपरिषद की संस्तुति पर सामान्य परिषद के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा और बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सामान्य परिषद के अन्यून दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदत्त की गयी या प्रदान की गयी किसी विशिष्ट उपाधि, डिप्लोमा या विशेषाधिकार को वापस ले सकती है, यदि ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष ठहराया गया हो, जिसमें सामान्य परिषद की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हो या यदि वह घोर अवचार का दोषी रहा हो।

(2) इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक उसे की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया जाय।

(3) सामान्य परिषद द्वारा पारित संकल्प की प्रति संबंधित व्यक्ति को तत्काल प्रेषित की जायेगी।

(4) सामान्य परिषद द्वारा कृत विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति कुलाधिपति को ऐसे संकल्प की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है।

(5) इस संबंध में कुलाधिपति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

राज्य सरकार की निरीक्षण और जाँच करने की शक्ति

62-(1) राज्य सरकार को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा कि वह निदेश दे, विश्वविद्यालय उसके भवनों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, संग्रहालयों, कार्यशालाओं और उपस्करों, संस्थाओं या अनुरक्षित केन्द्रों का निरीक्षण कराने की शक्ति होगी और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अध्यापन एवं अन्य कार्यों तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं का भी निरीक्षण कराने की शक्ति होगी और विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों के प्रशासन, शैक्षणिक क्रिया-कलापों और वित्त से संबंधित किसी मामले में भी समान रीति से जाँच कराने की शक्ति होगी;

(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक मामले में विश्वविद्यालय को निरीक्षण कराने तथा कोई जाँच कराने की अपने आशय की सूचना देगी और विश्वविद्यालय को उसमें अपना प्रतिनिधित्व करने का हक होगा;

(3) राज्य सरकार, ऐसे निरीक्षण और जाँच के परिणामों के संदर्भ में अपना अभिमत विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और उस मामले में कार्यवाही किये जाने के लिये विश्वविद्यालय को परामर्श देगी;

(4) जहाँ विश्वविद्यालय द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर राज्य सरकार के समाधान पर कार्यवाही नहीं की जाती है, वहाँ राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश दिये जायेंगे और विश्वविद्यालय को ऐसे निदेशों का अनुपालन करना होगा।

निरसन और व्यावृत्तियां

63- (1) उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या 32 सन् 2001) और उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2001 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 2023

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2001) के अधीन कृत समस्त नियुक्तियाँ जारी किए गए आदेश, प्रदान की गई डिग्री और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं, प्रदान किए गए डिप्लोमा और प्रमाणपत्र, प्रदान किए गए विशेषाधिकार, या किए गए अन्य कार्य (स्नातकों का रजिस्ट्रीकरण सहित) इस अध्यादेश के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन बनाया गया, जारी किया गया, प्रदान किया गया या किया गया माना जाएगा और इस अध्यादेश या परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय तब तक लागू रहेगा जब तक कि वे इस अध्यादेश या परिनियमावली के अधीन कृत किसी आदेश द्वारा अधिक्रमित न कर दिये जायें।

(3) ऐसे निरसन के होते हुये भी उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2023 के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी।

उद्देश्य और कारण

राज्य में जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग शिक्षा संस्थान, चित्रकूट धाम द्वारा प्रायोजित विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन के लिए उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2001) अधिनियमित किया गया है।

अपनी वृद्धावस्था और सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण विश्वविद्यालय संचालित करने में असमर्थता के कारण, जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ने राज्य सरकार से इसे राज्य विश्वविद्यालय के रूप में निगमित किये जाने का अनुरोध किया।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये, पूर्वोक्त विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय के रूप में निगमित एवं स्थापित करने के लिए राज्य सरकार एवं कुलाधिपति राघवीयो जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के मध्य सहमति पत्र दिनांक 31.01.2023 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया। उक्त सहमति पत्र के आधार पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरंत विधायी कार्रवाई आवश्यक थी, अत: राज्यपाल द्वारा दिनांक 18 जुलाई, 2023 को उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 2023) प्रख्यापित किया गया।

पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 पुर:स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।